इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022—माघ 15, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. एफ 2-1-2022-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजस्व विभाग की नवीन सेवा एवं पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-10-2016-इकसठ-लोसेप्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2016 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.16 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.16	म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण किया जाना.	अनुभागीय अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
4.19	अनियोजित क्षेत्र में कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में व्यपवर्तन.	अनुभागीय अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.